3970
13/XI/09

राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग
DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY,
खनिज भवन/Khanij Bhawan, उदयपुर/Udaipur-313001.
दूरभाष/Phones: 2415091-95, फेक्स/ Fax: (0294)-2410526

क्रमांकः निखाभू/भील/सीसी–3/प.1(1)130/03/2796 दिनांकः– 12/11/09

# आदेश

चूंकि इस विभाग के समसख्यंक आदेश क्रमांकः निखाभू/भील/सीसी–3/प–1(1) 130/2003/2711 दिनांक 30.8.2006 द्वारा श्रीमती रेना पत्नि समीर निवासी जयपुर के पक्ष में खनिज फैल्सपार, क्वार्टज निकट ग्राम फलामाता की ढाणी तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा में क्षैत्र 5.00 हेक्टेयर का खनन पट्टा संविदा पंजीयन की तिथि से 30 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया था।

खनि अभियन्ता भीलवाडा ने पत्र दिनांक 30.6.2007 एवं 23.9.2009 से अवगत कराया है कि स्वीकृति आदेश की पालना मे स्वीकृति आदेश की प्रति, राजस्व रेकार्ड, आवेदित क्षेत्र का प्लान, खसरा सुपर इम्पोज नक्शा के साथ संभागीय आयुक्त, अजमेर एवं जिला कलक्टर, भीलवाडा को संविदा अनुमति हेतु भेजते हुऐ प्रति आवेदक को दी जाकर सूचित किया गया। तदपश्चात भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.9.2006 प्रभाव मे आने के कारण आवेदिका को खनि अभियन्ता द्वारा दिनांक 30.10.2006 से पर्यावरण क्लीयरेन्स प्राप्त करने हेतू 30 दिवसीय नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना मे आवेदिका द्वारा पत्र दिनांक 6.11.2006 से अवगत कराया कि पर्यावरण क्लीयरेन्स की कार्यवाही की जा रही है, खनि अभियन्ता के पत्र दिनांक 12.9.2006 से भेजे गये पत्रादि पर जिला कलक्टर भीलवाडा ने उनके पत्र दिनांक 23.12.2006 से अनापत्ती जारी नही की।

जिला कलक्टर की आपत्ती पर आवेदिका को खनि अभियन्ता द्वारा पत्र दिनांक 12.12.2006 से सुनवाई का अवसर दिया गया किन्तु आवेदिका पर्यावरण क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट एवं जिला कलक्टर भीलवाडा से संविदा निष्पादन हेतू सहमति प्राप्त कर प्रस्तुत नही किया है। इसके अतिरिक्त स्वीकृति आदेश मे वर्णित शर्तों की पालना मे प्रतिभूति एवं वित्तीय आश्वासन तथा स्टाम्प इत्यादि भी प्रस्तुत नही किया है। जारी स्वीकृति आदेश की 6 माह की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। जिससे स्वीकृति आदेश रिवोक योग्य है। जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार है। अतः स्वीकृति आदेश दिनांक 30.8.2006 को प्रतिसंहृत( रिवोक) किया जाता है।

निदेशक, 12/11/09
खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
राजस्थान,उदयपुर

क्रमांकः निखाभू/भील/सीसी–3/प.1(1)130/03/2797-2807 दिनांकः– 12/11/09

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. खनि अभियन्ता, भीलवाडा को उनके पत्र दिनांक 23.9.2009 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजकर लेख है कि क्षैत्र पुनः अनुदान हेतु रिक्त घौषित के प्रस्ताव अविलम्ब भिजावें।
2. रजि.ए.डी. श्रीमती रेना पत्नि श्री समीर निवासी 106/84, देवीकृपा विजय पथ, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर,, जयपुर (राज0)।
3. महा नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरों, प्रथम मंजिल, डी. ब्लोक सिविल लाईन, इन्दिरा भवन, नागपुर।
4. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरों, अजमेर।
5. अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर जोन, उदयपुर।
6. अधीक्षण खनि अभियन्ता, भीलवाडा वृत भीलवाडा।
7. जिला कलक्टर, भीलवाडा।
8. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर।
9. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
10. अधीक्षक भूवैज्ञानिक, रिमोट सेंसिंग,के0का0, उदयपुर
11. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण खनि अभियन्ता(मु0ग)